

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 725 / 2010 / अलवर.

मैसर्स पेपर ड्रीम प्रा0 लिमिटेड, भिवाड़ी.

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, अलवर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वैभव कासलीवाल,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 7 / 5 / 2014

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), अलवर-II, वाणिज्यिक कर विभाग, भिवाड़ी (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 41 / 2009-10 / आरएसटी / उपा / अपील्स / अल-II / भिवाड़ी में पारित किये गये आदेश दिनांक 04.02.2010 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, अलवर (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) के अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 2.5.2009 की पुष्टि की है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 2.5.2009 को हरचंदपुर-भिवाड़ी में वाहन संख्या आर.जे.05 / जी-3687 को चैक किये जाने पर वाहन में 'पेपर' दिल्ली से भिवाड़ी के लिये परिवहनित किया जाना पाया गया। प्रत्यर्थी वाहन चालक एवं माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से सम्बन्धित बिल संख्या 744 दिनांक 01.05.2009, बिल्टी संख्या 080 दिनांक 01.05.2009, कांटा पर्ची संख्या 4261 दिनांक 01.05.2009 घोषणा प्रपत्र वैट-47 संख्या 2341947 प्रस्तुत किये गये। सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त दस्तावेजों की जांच पर पाया गया कि घोषणा पत्र के बिल के कॉलम में बिल संख्या 743 को काटकर 744 किया गया है, निर्धारित स्थानों पर पंच नहीं किया गया है एवं वाहन संख्या व बिल्टी संख्या / दिनांक का अंकन भी नहीं किया गया है। अतः उक्त घोषणा पत्र को अपूर्ण मानते हुए अपीलार्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत

लगातार.....2

जवाब में जाहिर किया गया कि लिपिकीय भूल से उक्त गलती हो गई है, जिसमें करापवंचन की मंशा नहीं है। सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त जवाब को अस्वीकार करते हुए माल परिवहन में अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 60,576/- का आरोपण आदेश दिनांक 2.5.2009 से किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.2.2010 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया कि वक्त जांच परिवहनित माल के साथ अधिनियम की धारा 76(2) के तहत वांछित सभी दस्तावेज मौजूद थे, जिन्हें वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश कर दिया गया था। विवादित माल 'सी' फॉर्म के समर्थन से आयात किया गया था एवं बिल में 2 प्रतिशत की दर से सी.एस.टी. चार्ज किया हुआ था। घोषणा पत्र वैट-47 के रिक्त कॉलम्स की प्रविष्टियों का सत्यापन संलग्न दस्तावेजों से हो सकता था तथा रिक्तियों की पूर्ति सुनवाई का अवसर प्रदान कर करवाई जा सकती थी। प्रकरण में व्यवहारी का किसी प्रकार का करापवंचन का आशय नहीं था। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

बहस के दौरान प्रत्यर्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक का कथन है कि वक्त जांच प्रस्तुत किये गये घोषणा पत्र वैट-47 में बिल संख्या व दिनांक को काटकर लिखा गया है, माल की मात्रा में भी विरोधाभास है, पार्ट-सी पूर्णतः रिक्त है तथा निर्धारित स्थानों से पंच भी नहीं है। ऐसी स्थिति में यह दस्तावेज स्पष्ट रूप से अपूर्ण दस्तावेज की श्रेणी में आता है, जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2007) 18 टैक्स अपडेट 321 मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज अनुसार धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपणीय है। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए विधि अनुसार धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण किया गया था। अपीलीय अधिकारी द्वारा भी प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के अनुसरण में शास्ति आदेश की पुष्टि किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया गया।



लगातार.....3

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा सक्षम अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में विवादित घोषणा पत्र वैट-47 क्रमांक 2341947 का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि उक्त घोषणा पत्र में निम्न कमियां हैं :-

- (1) पार्ट-ए का कॉलम संख्या 3 (संव्यवहार की प्रकृति) रिक्त है;
- (2) पार्ट-बी के कॉलम संख्या 1 व 2 (बिल क्रमांक व दिनांक) में कांटछांट की गयी है;
- (3) पार्ट-बी के कॉलम संख्या 4 व 5 में माल की मात्रा में विरोधाभास है;
- (4) पार्ट-सी पूर्णतः रिक्त है; एवं
- (5) घोषणा पत्र निर्धारित स्थानों से पंच किया हुआ नहीं है।

उक्त त्रुटियों से यह दस्तावेज स्पष्ट रूप से अपूर्ण दस्तावेज की श्रेणी में आता है। जबकि अधिनियम की धारा 76(2) के तहत अन्तर्राज्यीय संव्यवहार में माल के परिवहन के दौरान घोषणा पत्र वैट-47 पूर्ण रूप से भरा हुआ संलग्न होना आवश्यक है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2007) 18 टैक्स अपडेट 321 गुलजग इण्डस्ट्रीज में यह स्पष्ट अवधारित किया गया है कि वक्त जांच घोषणा प्रपत्र रिक्त/अपूर्ण पाये जाने की स्थिति में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 78(5) [अधिनियम की धारा 76(6)] के तहत शास्ति आरोपणीय है। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण विधि अनुसार किया गया था एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा भी सक्षम अधिकारी के आदेश की पुष्टि किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश दिनांक 4.2.2010 की एतद्वारा पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
07/05/14